AMAR UJALA, Delhi, 26.8.2024
Page No. 7, Size:(7.40)cms X (2.96)cms.

स्कोप ने आयोजित किया सत्र का आयोजन

नई दिल्ली। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) ने 'विकसित भारत एट 2047 के लिए कॉर्पोरेट भारत की परिकल्पना पर सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रो. के. वी. सुब्रमण्यन, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार हेमंग जानी, स्कोप के अध्यक्ष और गेल के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता और स्कोप के महानिदेशक और आईएलओ के शासी निकाय के सदस्य अतुल सोबती ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पुस्तक इंडिया एट 100 का वाचन और प्रो. के. वी. सुब्रमण्यन द्वारा विचार साझा किए गए।

MINT, Delhi, 26.8.2024
Page No. 9, Size:(5.74)cms X (8.65)cms.

IOC, BPCL fined for not meeting norms

India's biggest oil firms including Indian Oil, BPCL and gas utility GAIL have been slapped with fines for a record fifth straight quarter for failing to meet listing norms of having the requisite number of independent and women directors on their board.

Stock exchanges BSE and NSE have slapped fines on oil refining and fuel marketing giants Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), explorer Oil India Ltd (OIL), gas utility GAIL (India) Ltd, and refiner Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) for not meeting the listing requirement in the April-June quarter.

The firms had faced fines for the same reason the previous four quarters as well. Listing norms require firms to have independent directors in the same proportion as executive or functional directors. They are also required to have at least one woman director on the board. **PTI**

HINDUSTAN, Delhi, 26.8.2024
Page No. 11, Size:(3.12)cms X (4.72)cms.

गेल-पेट्रोन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। गेल (इंडिया) लिमिटेड और पेट्रोन साइंटेक इंक (पेट्रॉन) ने भारत में अपनी डाउनस्ट्रीम इकाइयों के साथ 500 किलो टन प्रति वर्ष (केटीए) बायो-एथिलीन संयंत्र की संयुक्त रूप से स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर सुमित किशोर, कार्यकारी (गेल) और योगी सरीन, सीईओ (पेट्रोन) ने गेल में निदेशक राजीव कुमार सिंघल की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंघल ने कहा कि यह समझौता तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा।

DAINIK SAVERA, Panipat, 26.8.2024
Page No. 9, Size:(27.61)cms X (12.36)cms.

सूचीबद्धता नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 5वीं तिमाही में तेल कंपनियों पर जुर्माना

जुर्माना अपने निदेशक मंडलों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने को लेकर लगाया

सवेरा न्यूज/एजेंसी

नई दिल्ली, 25 अगस्त : सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और गैस कंपनी गेल समेत अन्य बड़ी तेल कंपनियों पर सूचीबद्धता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने को लेकर लगातार 5वीं तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना अपने निदेशक मंडलों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने को लेकर लगाया गया है। शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल), गेल (इंडिया) लि. और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लि. (एमआरपीएल) पर अप्रैल-जून तिमाही में सूचीबद्धता की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या या अनिवार्य महिला निदेशकों के नहीं होने से बीएसई और एनएसई ने जुर्माना लगाया है। सूचीबद्धता नियमों के अनुसार कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक रखने की जरूरत होती है। उन्हें निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला निदेशक रखने की भी आवश्यकता है।

आईओसी ने कहा कि बीएसई और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) ने 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत) के विनियमन 17(1) का अनुपालन नहीं करने के लिए कंपनी पर 5,36,900-5,36,900 रुपए का जुर्माना लगाया। बीपीसीएल ने कहा कि निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक कम होने के कारण बीएसई और एनएसई ने उस पर 2,41,900-2,41,900 रुपए का जुर्माना लगाया है। एचपीसीएल ने कहा कि बीएसई और एनएसई ने उस पर 5,36,900-5,36,900 रुपए का जुर्माना लगाया है। गेल पर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया गया है। ऑयल इंडिया और एमआरपीएल पर भी बीएसई और एनएसई ने 5,36,900-5,36,900 रुपए का जुर्माना लगाया है।